न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, लोहावट जिला फलोदी

पिठासीन अधिकारी - मांगीलाल (आर.ए.एस.)

प्रार्थना पत्र संख्या :- 124/2023

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
1. रामुराम पुत्र हीराराम जाति जाट निवासी घमण्डाणियो की ढाणी तहसील लोहावट जिला फलोदी।		1. भंवरूराम पुत्र सोनाराम 2. रूपाराम पुत्र सोनाराम 3. तेजाराम पुत्र सोनाराम 4. लालाराम पुत्र सोनाराम 5. रूपाराम पुत्र पुनाराम 6. भूराराम पुत्र पुनाराम फोत के कायम मुकाम - 6.1. पपुराम पुत्र भूराराम 6.2. नखतु पत्नि भूराराम जाति जाट निवासी घमण्डाणियो की ढाणी लोहावट पश्चिम ढाणी, लोहावट जिला फलोदी 7. सुखाराम पुत्र गुणेशाराम 8. रावतराम पुत्र गुणेशाराम 9. हणुताराम पुत्र गुणेशाराम 10. टीकुराम पुत्र गुणेशाराम 11. पनाराम पुत्र हीराराम 12. कुनाराम पुत्र हीराराम 13. कोजाराम पुत्र मूलाराम 14. पेम्पो पत्नि मुलाराम जाति जाट निवासी घण्डाणियो की ढाणी जिला फलोदी 15. तहसीलदार लोहावट

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू-राजस्व अधिनियम

उपस्थित -

श्री अशोक कुमार कड़वासरा अधिवक्ता प्रार्थी

अप्रार्थीगण - एक पक्षीय

निर्णय

दिनांक :- 18.06.2024

प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि - तात्कालीन तहसील फलोदी के राजस्व ग्राम लोहावट जाटान के खसरा नम्बर 515 रकबा 24.09 बीघा, खसरा नम्बर 516 रकबा 08.11 बीघा भूमि माना वल्द रामा फुलीया,

(हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर ... जिला फलोदी

Scanned with CamScanner

लादीया पिता रूपा, हरखा वल्द जेता ब-हिस्सा बराबर, करना वल्द ताजा, अखा मला पिता शिवजी ब-हिस्सा बराबर खतौनी बन्दोबस्त सम्वत् 2012 में दर्ज हुआ। तहसील फलोदी में से नवीन तहसील लोहावट का गठन हुआ तहसील लोहावट के राजस्व ग्राम लोहावट जाटावास में से नवीन राजस्व ग्राम घमण्डाणियो की ढाणी बन जाने से उक्त खसरान की भूमि वर्तमान में राजस्व ग्राम घमण्डाणियो की ढाणी में स्थित है। तथा खसरा नम्बर 515 रकबा 24.09 बीघा में से 13 बिस्वा व खसरा नम्बर 516 में से 02.05 बीघा भूमि सड़क में चले जाने के बाद खसरा नम्बर 515 रकबा 23.16 बीघा व खसरा नम्बर 516 रकबा 6.06 बीघा शेष स्थित है।

उपरोक्त खसरान भूमि मे प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण संख्या 07 से 14 के पूर्वज अखाराम पुत्र शिवजीराम का नाम खतौनी बन्दोबस्त में दर्ज हुआ जो लगातार जमाबन्दी सम्वत् 2026 से 2034 तक लगातार दर्ज हुआ। मिसल बन्दोबस्त में शिवजीराम के दोनो पुत्र अखाराम मालाराम का नाम दर्ज हुआ ओर उक्त चौसालाओ में भी दर्ज हुआ लेकिन आगे के चौसालाओ में प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण संख्या 07 से 14 पूर्वज श्री अखाराम पुत्र शिवजीराम का नाम लिपीकिय भूल से दर्ज नही हुआ केवलमात्र मालाराम पुत्र शिवजीराम अकेले का नाम दर्ज हुआ अखेराम पुत्र शिवजीराम का नाम दर्ज नही होने की अशुद्धि जमाबन्दी में आज दिन लगातार चली आ रही है।

उक्त खसरान की भूमि में प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण संख्या 07 से 14 के पूर्वज अखाराम का 1/8 हिस्सा व अप्रार्थीगण संख्या 01 से 06 के पूर्वज मालाराम का 1/8 हिस्सा की भूमि बन्ट आती है लेकिन राजस्व कर्मचारीयो की त्रुटी से अखेराम का नाम चौसाला में दर्ज नही होने से अखेराम के 1/8 हिस्सा की भूमि अप्रार्थीगण संख्या 01 से 06 के पूर्वज मालाराम के नाम दर्ज हो गयी। जो लिपिकिय त्रुटी राजस्व रेकॉर्ड में दुरूस्त करवाने के लिए प्रार्थी ने धारा 136 भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को सम्मन रजिस्टर्ड डाक से भेजे जाकर तलब किया गया। अधिवक्ता प्रार्थी ने अप्रार्थीगण को भेजे गये सम्मन की डाक रशिदे न्यायालय में पेश की जो शामिल मिसल की गयी। तहसीलदार लोहावट से राजस्व रेकॉर्ड की जांच रिपोर्ट तलब की गयी।

तहसीलदार लोहावट ने प्रार्थना पत्र का जवाब पेश किया जो संक्षिप्त में इस प्रकार है -

1. प्रार्थना पत्र के पद संख्या 01 का जवाब इस प्रकार है कि ग्राम घमण्डाणियो की ढाणी के खसरा नम्बर 515 रकबा 24.09 बीघा, खसरा नम्बर 516 रकबा 08.11 बीघा भूमि खतौनी बन्दोबस्त के अवलोकन व

उपखण्ड कलेक्टर
लोहावट जिला फलोदी

पटवारी की रिपोर्ट के अनुसार राजस्व रेकॉर्ड में माना वल्द रामा फुलिया लादिया पिता रूपा हरखा वल्द जेता बहिस्सा बराबर करना वल्द ताजा अखा मला पिता शिवजी बहिस्सा बराबर कोम जाट गोदारा दर्ज हुआ।

2. प्रार्थना पत्र के पद संख्या 03 का जवाब इस प्रकार है कि जमाबन्दी चौसाला सम्वत् 2026 से 2037 तक अखाराम पुत्र शिवजीराम का नाम दर्ज है लेकिन बाद के चौसालाओ में लिपिकिय भूल से अखाराम मलाराम पिता शिवजीराम दर्ज होने के बजाय केवल मलाराम पुत्र शिवजीराम का दर्ज हो गया। जो केवल मात्र लिपिकिय त्रूटीवंश दर्ज नही हुआ। उक्त खसरान के मिसल बन्दोबस्त अनुसार माना वल्द रामा फुलिया लादिया पिता रूपा हरखा वल्द जेता बहिस्सा बराबर करना वल्द ताजा अखा मला पिता शिवजी बहिस्सा बराबर दर्ज था इस अनुसार अखाराम मलाराम पिता शिवजीराम का नाम 1/4 हिस्सा में दर्ज हुआ याने सम्पूर्ण खसरे में अखाराम का 1/8 हिस्सा, मालाराम का 1/8 हिस्सा बन्ट बनता है जो लिपिकिय त्रुटी से अखाराम का नाम दर्ज नही होने से सम्पूर्ण ही मालाराम पुत्र शिवजीराम के नाम दर्ज है जिसको शुद्ध किया जाना उचित है।

अप्रार्थीगण को रजिस्टर्ड डाक से भेजे गये सम्मन की अवधी 30 दिवस बित जाने के वावजूद न्यायालय में उपस्थित हुए जिन्है न्यायालय में उपस्थिति के लिए बार बार आवाजे लगवायी जाने के बावजूद गैर हाजिर रहने से अप्रार्थीगण के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। प्रार्थी अधिवक्ता की एक पक्षीय बहस सुनी गयी।

प्रार्थी अधिवक्ता ने अपनी बहस में निवेदन किया कि तहसीलदार लोहावट की रिपोर्ट व राजस्व रेकॉर्ड से प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अंकित अशुद्धि साबित है तथा प्रस्तुत राजस्व रेकॉर्ड की नकलो एवं तहसीलदार के जवाब से प्रार्थना पत्र साबित है इसलिए उक्त अशुद्धी को शुद्ध किया जाकर राजस्व रेकॉर्ड को दुरूस्त फरमाया जाकर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे।

प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी गयी बहस में पर मनन किया गया पत्रावली का अवलोकन किया गया बाद अवलोकन एवं मनन ग्राम घमण्डणियो की ढाणी के खसरा नम्बर 515 रकबा 24.09 बीघा, खसरा नम्बर 516 रकबा 08.11 बीघा भूमि खतौनी बन्दोबस्त के अवलोकन व पटवारी की रिपोर्ट के अनुसार राजस्व रेकॉर्ड में माना वल्द रामा फुलिया लादिया पिता रूपा हरखा वल्द जेता बहिस्सा बराबर करना वल्द ताजा अखा मला पिता शिवजी बहिस्सा बराबर कोम जाट गोदारा था जो जमाबन्दी चौसाला सम्वत् 2026 से 2037 तक दर्ज रहा। बाद के चौसालाओ में अखाराम मलाराम पिता शिवजीराम दर्ज होने के बजाय केवल मलाराम पुत्र शिवजीराम का दर्ज हो गया। खतौनी बन्दोबस्त से यह भी स्पष्ट है कि

सहायक कलक्टर
लोहावट जिला फलोदी

Scanned with CamScanner

...खाराम मालाराम पिता शिवजीराम का नाम 1/4 हिस्सा में दर्ज हुआ याने सम्पूर्ण ...ारे में अखाराम का 1/8 हिस्सा, मालाराम का 1/8 हिस्सा बन्ट आता है। जो ...माल में केवल मालाराम के नाम 1/4 हिस्से के रूप में दर्ज है। प्रस्तुत राजस्व ...र्ड एवं दस्तावेजात तथा तहसीलदार रिपोर्ट व जवाब से यह प्रमाणित है कि ...त बसरान में अखाराम मालाराम पिता शिवजीराम का नाम 1/4 हिस्सा में दर्ज ...आ जो बाद में अखाराम का नाम लिपिकिय भूल से छुट जाने से मालाराम के ...ाम सम्पूर्ण 1/4 हिस्सा दर्ज हो गया। जिसको दुरूस्त किया जाकर मालाराम 1/8 ...हिस्सा अखाराम 1/8 हिस्सा दर्ज किया जाकर रेकॉर्ड को दुरूस्त किया जाना उचित ...।

अतः उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य ...ोने से स्वीकार किया जाता है।

आदेश

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 136 भू-राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया ...ाकर तहसीलदार लोहावट को आदेश किया जाता है कि तहसील लोहावट के ...राजस्व ग्राम घमण्डणियो की ढाणी के खसरा नम्बर 515 रकवा 3.8526 हैक्टेयर, ...खसरा नम्बर 516 रकवा 1.0198 हैक्टेयर भूमि के राजस्व रेकॉर्ड जमाबन्दी में ...मालाराम पुत्र शिवजीराम हिस्सा 1/4 के स्थान पर मालाराम पुत्र शिवजीरान ...हिस्सा 1/8 और अखाराम पुत्र शिवजीराम के नाम 1/8 हिस्सा दर्ज राजस्व रेकॉर्ड ...किया जावें एवं इसी अनुसार मालाराम पुत्र शिवजीराम का हिस्सा कम किया जावें। ...तत्पश्चात फोतेदगी की स्थिति में नियमानुसार विरासतन नामान्तकरण दर्ज किया ...जावें।

निर्णय आज दिनांक 18.06.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

(मुहर: उपखण्ड अधिकारी ... जिला फलोदी)

(हस्ताक्षर)
मांगीलाल (आर.ए.एस)
सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
लोहावट जिला फलोदी

(मुहर: सहायक कलेक्टर लोहावट जिला फलोदी)

Scanned with CamScanner